पत्र संख्याः-3ए-2-वे0पु0-16/09(अंश)

बिहार सरकार,

<u>वित्त विभाग ।</u>

<u>संकल्प</u>

विषयः-वेतन समिति की अनुशंसा के अनुरूप स्वीकृत वेतनमान पर विभिन्न सेवा संघों की आपत्तियों पर विचार करने हेतु श्री एस0 विजयराघवन, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 वि0 (2), दिनांक 21/01/2010 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन समिति की अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

1. राज्य के कतिपय सेवा संवर्गों की यह शिकायत है कि वेतन समिति द्वारा कई मामलों में केन्द्र के अनुरूप वेतनमान की अनुशंसा नहीं की गई है ।

2. संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों/माँग-पत्रों पर विचार करने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. श्री एस0 विजयराघवन, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 सम्प्रति-माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार (निवेश)	-	अध्यक्ष
2. श्री रामेश्वर सिंह, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग	-	सदस्य सचिव
3. श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	-	सदस्य

3. समिति के लिए 'विचार के बिन्दु' (Terms of Reference) निम्नांकित होंगे:-

(क) विभिन्न सेवा संगठनों द्वारा वेतन समिति के 'टर्म्स ऑफ रेफिरेन्स' की परिधि में उनके द्वारा की गई अनुशंसाओं तथा उन पर राज्य सरकार के निर्णयों में जो त्रुटियां/विसंगतियां बताई जाएंगी उन्हीं पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(ख) समिति के गठित होने की तिथि से एक माह के अंदर प्राप्त होने वाली आपत्तियों तथा आवेदनों पर ही समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(ग) अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी ।

(घ) समिति शीघ्रातिशीघ्र और अधिकतम 3 (तीन) माह की अवधि में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप देगी ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री एवं राज्यमंत्री के आप्त सचिवों/मंत्रिमंडल सचिवालय/राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्व साधारण की जानकारी हेतु बिह गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-16/09(अंश) - 1952.

दिनांकः- 24.2.2010

प्रतिलिपिः-समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री एवं राज्यमंत्री के आप्त सचिवों/मंत्रिमंडल सचिवालय/राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.2.10

(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।